पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश कुमार राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2025

जीसीएमएस नं. :– 2025/10

ग्राम पंचायत 27 ए पंचायत समिति अनूपगढ़ जरिये मनवीर सिंह पुत्र सतवीर सिंह उम्र 35 वर्ष वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत 27 ए पंचायत समिति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

— प्रार्थी

बनाम्

1. मंगतुराम पुत्र चन्दुराम जाति कुम्हार निवासी चक 10 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 24.06.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थी वर्तमान में ग्राम पंचायत 27 ए पंचायत समिति अनूपगढ का संरपच है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पजीकृत पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक पर अकिंत है। चक 10 के तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 10 प.सं.338/445 का किला नं. 1 का 0.253 हैक्टर में से 152/253 हिस्सा सयुक्तं रूप से शमशान भूमि ग्राम पंचायत 27 ए के नाम से खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलग्नं है। अप्रार्थी सं. 1 मगतूंराम के नाम से चक 10 के तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 10 पत्थर 338/445 का किला नं. 2, 3/2, 9, 10, 11, 12, 13, 18/2, 19, 20, 21/2, 22/[illegible] हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जमाब[illegible] सलग्नं है। प्रार्थी यहां यह भी स्पष्ट कर रहा है कि वाके चक 10 के तहसील अनूपगढ [illegible] मुरब्बा नं.10 प.सं. 338/445 का किला नं. 1 का 0.253 हैक्टर में [illegible] पंचायत 27 [illegible] शमशान भूमि है जो चक 27ए व आस पास के अन्य [illegible] द्वारा शमशान भूमि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.07 17:31:46 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

में उपयोग में ली जा रही है लेकिन उक्त शमशान भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नंही है बल्कि अपार्थी सं. 1 के अधिपत्य की कृषि भूमि इसी मुरब्बा नं. 10 पत्थर सं 338/445 के किला नं. 10,11,20,21 में से होकर उपरोक्त शमशान भूमि में वासिन्दगान आवागमन करते है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. के अधिकार व अधिपत्य की कृषि भूमि चक 10 के तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं 10 पत्थर सं.338/445 के किला नं. 10.11.20.21 में स्वीकत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जो रास्ता ग्राम चक 27 ए एवं अन्य आस पास की ढाणीयों के वारिसन्दगान के लिऐ शमशान भूमि तक आने जाने के लिए सबसे छोटा व सुगम रास्ता है जिसकी ग्राम पंचायत को आवश्यकता है। नजरी नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी यहां यह भी स्पष्ट कर रहा है कि ग्राम पंचायत चक 27 ए की स्वीकृतशुदा शमशान भूमि इसी चक 10 के तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 10 प. सं. 338/445 के किला नं. 1 में स्थित है लेकिन शमशान भूमि में आने जाने के लिए कोई पर्याप्त व सुगम रास्ता नही होने के कारण मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिऐ आवागमन में काफी कठिनाईयां उत्पन्न होती है ऐसी स्थिति में भी मुरब्बा नं.10 पत्थर सं.338/445 के किला नं. 10,11,20,21 में 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना सुविधाजनक होगा चुकिं शमशान भूमि में आने जाने के लिऐ विद्यमान में अन्य कोई मार्ग नही है तथा प्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम, सबसे छोटा व सुगम रास्ता है जिसकी प्रार्थी ग्राम पंचायत व आमजन को अत्याधिंक आवश्यकता है। जिसके लिऐ प्रार्थी नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदय करने को तैयार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को कई बार कहा कि मुरब्बा नं. 10 पत्थर सं. 338/445 के किला नं. 10, 11, 20, 21 में 2—2 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवा देवे ताकि मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिऐ आवागमन के लिऐ पर्याप्त व उचित रास्ता उपलब्ध हो सके लेकिन अप्रार्थी सं. 1 ने अरसा तीन रोज पूर्व प्रार्थी की कोई बात मानने से इन्कार कर दिया और स्पष्ट कहा कि वह शमशान भूमि के लिऐ अपने किला नं. 10, 11, 20, 21 में कोई रास्ता नही देगा बल्कि जो रास्ता चल रहा है वह उसे भी बन्द कर शमशान भूमि के रास्ता को पूर्णतया अवरूद्ध कर देगा यही बिनाय मुखासमत प्रार्थना पत्र है। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। तहसीलदार राजस्व अनूपगढ को भूमिधारी होने के कारण आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थना पत्र अदालतवाला के श्रवनाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे है। जो पूर्ण कोर्टफिस पर तहरीर होकर अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके चक 10 के तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 10 पत्थर सं. 338/445 के किला नं. 1 में ग्राम पंचायत चक 27 ए की स्वीकतशदा शमशान भूमि में आवागमन के लिऐ अप्रार्थी सं. 1 के अधिकार व अधिपत्य की प्रार्थना पत्र की कृषि भूमि वाके चक 10 के तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 10 पत्थर सं. 338/445 के किला नं. 10,11, 20, [illegible] त किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान किये जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.07 17:31:46 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी मंगतुराम पुत्र [illegible] द्वारा दिना[illegible]05.2025 को न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] चक 10 के का प.नं. 338/445 मु.नं. 10 के कि.नं. 10,11, 20,21 में 2—2 [illegible] रास्त स्वीकृत करवाने का प्रार्थना

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पत्र पेश किया है जबकि कि.नं. 1 में जो श्मशान भूमि बनी हुई है उसमें आने जाने के लिये मु. नं. 11 के प.नं. 339/445 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में मौका पर रास्ता चल रहा है जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। मु.नं. 11 के प.नं. 339/445 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 की मौका रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाई जावे।

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा पूर्व में सुस्पष्ट रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर दी गई है तथा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार चक 10 के का प.नं. 338/445 मु.नं. 10 के कि.नं. 10, 11, 20, 21 से होकर ही उक्त श्मशान भूमि को निकटतम एवं सुगम रास्ता ही लगता है।

प्रार्थना पत्र 251–ए पर बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि चक 10 के में स्थित श्मशान भूमि को पहूंचने हेतु चक 10 के का प.नं. 338/445 मु.नं. 10 के कि.नं. 10, 11, 20, 21 से होकर ही रास्ता सुगम एवं उपयुक्त है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाना उचित है। चाहा गया मार्ग आत्यान्तिक आवश्यकता का एवं लघुत्तम मार्ग है जो मार्ग स्वीकृत किए जाने पर श्मशान भूमि को उपलब्ध हो सकेगा। उक्त स्वीकृत मार्ग की ऐवज में आवेदक राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल. सी.दर) के दो गुणा राशि का भुगतान करने को तैयार है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को रकबाराज की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर चक 10 के तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 10 प.सं. 338/445 का किला नं. 1 का 0.253 हैक्टर में से 152/253 हिस्सा संयुक्त रूप से शमशान भूमि ग्राम पंचायत 27 ए के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त कि.नं. 1 में बनी श्मशान भूमि हेतु यह रास्ता चक 27 ए एवं अन्य आस पास की ढाणीयों के वारिसन्दगान के लिऐ शमशान भूमि तक आने जाने के लिए सबसे छोटा व सुगम रास्ता है जिसकी ग्राम पंचायत को आवश्यकता है। अतः चक 10 के का प.नं. 338/445 मु.नं. 10 के कि.नं. 1 में बनी श्मशान भूमि हेतु इसी मुरब्बा के कि.नं. 10, 11, 20, 21 में से 1–1 बिस्वा रास्ता उपयुक्त, सुगम एवं निकटतम है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता में आई भूमि की ऐवज में **राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन**

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.07 17:31:46 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद करें रास्ता में आयी भूमि की राशि अप्रार्थीगण को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **24.06.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

सुरेश कुमार राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.07 17:31:46 IST
Reason: SelfAttested